02/10/23

आज यह पगवली प्रशासन गांवों के संग अभियान
2023 कैम्प कोर्ट मोहकमवाला में पेश हुये
वकील वादी के निर्वाण के आधार पर
मूल वाद नम्बर विदड्रा खारिज किया जा
चुका है इस प्रकरण में कोई अपीलार्थी अपीलित
नहीं रह गया है। लिहाजा प्रा-पत्र अपीलार्थी
द्वारा की जाकर प्रा-पत्र खारिज किया जाता है।
तथा न्यायालय द्वारा जारी अन्तर्वाद निषेधाज्ञा
दिनांक 31.07.2015 को निरस्त किया जाता
है। पगवली फैसले में शुमार होकर मूल
वाद संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2023.12.16 12:25:53 IST
Reason: SelfAttested